न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :–
जोधाराम पुत्र भंवराराम जाट
निवासी बोरावड़ तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
मांगीया वल्द जालीया रैगर के एल.आर.
1. हंसराज पुत्र भंवरलाल रैगर
2. कमला पत्नी भंवरलाल रैगर
3. गीता पुत्री भंवरलाल रैगर
भागूराम पुत्र भंवरलाल फोत के वारिसान
4. रतनलाल पुत्र भागुराम रैगर
5. शंकरलाल पुत्र भागुराम रैगर
6. सालू पुत्र भागुराम रैगर
बिरदीचन्द पुत्र भागुराम फोत के वारिसान
7. सरजु पत्नी बिरदीचन्द रैगर
8. घनश्याम पुत्र बिरदीचन्द रैगर
9. मुकेश पुत्र बिरदीचन्द रैगर
10. गणेश पुत्र बिरदीचन्द रैगर ना.बा.
11. कमली पुत्री बिरदीचन्द रैगर ना.बा.
12. तोतली पुत्री बिरदीचन्द रैगर ना.बा.
निवासी बिदियाद तह. परबतसर
13. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री शक्तिदान चारण अधिकवक्ता वादी
मुकदमां नम्बर :– 2017/00150 दिनांक :– 21.02.2022

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शक्तिदान चारण ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 309 रकबा 31–03 बीघा भूमि तत्कालीन खातेदार मांगीया वल्द जालीया ने 100 रूपये के नोन जुडिसियल स्टाम्प लिखपढ़ी कर दिनांक 07.08.2000 को 3,39,600 /– रूपये प्राप्त कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया है। वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर 957 रकबा 5.04 हैक्टयर कायम हुए है जिसके चारो तरफ सीवें नीवे कायम है। खरीद के दिन से ही वादी उक्त भूमि पर प्राकृतिक पेदावार , पाला, लूंग, खेजड़ी इत्यादि की फसल का उपयोग वादी स्वंय करता आया है वादी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

इस भूमि पर पिलछे 32 साल अर्थात 1985 से काश्त कर रहा है तथा बैचान की लिखापढ़ी करीम 15 वर्ष पूर्व करवायी है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 05.11.2017 को वादी के कब्जे काश्त में एतराज करने पर पैदा हुआ है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम बिदिया के गत खसरा नम्बर 309 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 957 रकबा 05–04 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाने व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दांजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.01.2018 को प्रतिवादी 2 व 13 एवं दिनांक 19.02.2018 को प्रतिवादी 4, 5, 7, 8, 9 के सम्मन विधिवत रूप से तामील हो कर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी 1, 3, 6 के सम्मन अखबार में साया होने के बाद एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह रामराम पुत्र जोधाराम दीपक पुत्र जोधाराम के शपथ पत्र पेश किये है ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्दी की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने सम्वत 2054–57 की जमाबन्दी की छाया प्रति , एवं सम्वत 2071–2074 की प्रमाणित प्रति पेश की है तथा मूल लिखपढ़ी की प्रति पेश की है।

3. वाद पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजत का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2054–57 की छाया प्रति पेश की है जिसमें ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 309 रकबा 31–03 बीघा भूमि मांगू पुत्र जालीया कौम रैगर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज है, इसी प्रकार सम्वत 2071–2074 खसरा नम्बर 957 रकबा 5–04 हैक्टयर भूमि मांगू पुत्र जालिया कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। एक इकरारनामा जो 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखा हुआ है जिसमें ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 309, 311 कुल रकबा 41–04 बीघा भूमि कीमत 8000/– प्रति बीघा की दर से 3, 29, 600/– रूपये में खातेदार मांगूराम पुत्र जालुराम उर्फ जालिया जाति रेगर निवासी बिदियाद द्वारा जोधाराम पुत्र भंवराराम जाति

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

जाट निवासी बोरावड़ को बैचान कर कब्जा सुपुर्द किये जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम बिदियाद की उक्त विवादित आराजीयत जिसके गत खसरा नम्बर 309, 311 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 957 रकबा 5–04 हैक्टयर भूमि जो वर्तमान में मांग पुत्र जालिया कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा वादी ने एक इकरारनामा जो 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखित के आधार पर कब्जा प्राप्त कर खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है वादी कि जाति जाट है जो एक स्वर्ण जाति का व्यक्ति है, कानूनन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी सुदा भूमि का अधिकार किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है। वादी का कथन है कि इस भूमि पर 32 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया है केवल दो मौखित साक्ष्य पेश किये है जो खुद वादी के पुत्र है। कब्जा चाहे कितना भी पुराना हो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कानूनन किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वाद द्वारा प्रस्तुत यह वाद विधि के सभी प्रावधानों के विरूद्ध है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादी का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

24/2/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)